न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00585

1. पीताम्बर आत्मज श्री हरनारायण जाति मीणा ।
2. राधेश्याम आत्मज श्री हरनारायण जाति मीणा निवासीगण ग्राम काश्पुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. गीता बाई पुत्री श्री हरनारायण पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी ग्राम उखलाना तहसील अलीगढ (उनियारा) जिला टोंक ।
4. अजोध्या बाई पुत्री श्री हरनारायण पत्नी श्री जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम उखलाना तहसील अलीगढ (उनियारा) जिला टोंक ।
5. रूपा बाई पुत्री श्री हरनारायण पत्नी श्री कैलाश जाति मीणा निवसी श्रीनगर पोस्ट रानीपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सीता देवी पत्नी पीताम्बर जाति मीणा निवासी ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. पिंकी पुत्री पीताम्बर जाति मीणा निवासी ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. मनचिता पुत्री पीताम्बर जाति मीणा निवासी ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. रामरेश आत्मज पीताम्बर जाति मीणा निवासी ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. विश्वजीत आत्मज पीताम्बर जाति मीणा निवासी ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम काशपुरिया तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 93 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 99 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 107 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 113 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 114 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा कुल 07 किता की कुल रकबा 31 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी प्रकार ग्राम काशपुरिया में कुल 08 किता की रकबा 58 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि प्रतिवादी क्रम 01 पीताम्बर के खातेदारी में दर्ज है । चरण संख्या 02 में वर्णित भूमियॉ प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं । उक्त भूमियॉ पैतृक हैं । प्रतिवादी क्रम 01 ने अवैध एवं अनाधिकृत रूप से एक अन्य औरत समझ बाई पुत्री कन्हैया लाल मीणा को रख लिया है । प्रतिवादी क्रम 01 समस्त आराजी को बेचान करने, रहन रखने एवं अन्य तरीके से अन्तरण करने पर आमादा है और उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादीगण क्रम 3 से 5 का विवाह करीब 25–30 वर्ष पूर्व हो चुका है । विवाह के बाद से ही उनके हिस्से की भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 काबिज काश्त चले आ रहे हैं । मीणा जाति अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है जिसमें विवाहित पुत्रियों को कोई हक एवं अधिकार नहीं होता है ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित वादग्रस्त आराजी में वादीगण को संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाकर विधिवत रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से ताकत के बल पर वादीगण को विभाजित हिस्से से बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करें उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी तरह से अन्तरण नहीं करे एवं किसी भी प्रकार से वादीगण के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जांवे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.06.2018 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर अपीलान्टगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने में त्रुटि की है । लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति के आधार पर अथवा राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । अपीलान्टगण लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे और उनके द्वारा कोई लिखित राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को सूचना दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया हुआ था । अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्टगण को उक्त वाद को लोक अदालत में रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी । दिनांक 03.08.2018 को अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उक्त पत्रावली न्यायालय के समक्ष नहीं थी । अपीलान्टगण द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली के सम्बन्ध में निरन्तर जानकारी करने का प्रयास किया जाता रहा तब दिनांक 11.10.2018 को उक्त प्रकरण के निस्तारण की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था । पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी और अपीलान्ट को बिना सूचना दिये इसको लोक अदालत में रखा गया और लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं । पीताम्बर अभी जीवित हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 अपीलान्ट की पहली पत्नी है जिसे अपीलान्ट ने छोड दिया है । अपीलान्ट के खिलाफ 498 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है । वादग्रस्त आराजी पैतृक है जिसमें रेस्पोडेन्ट का जन्म से अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में आराजी रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज हो चुकी है । रेस्पोडेन्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 बहाल रखा जावे।

10. रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात संलग्न कर दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया है । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 की फोटो प्रति, सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक के पत्र दिनांक 10.05.2019 की फोटो प्रति, जेएसएसवाई एडमिशन टिकिट की फोटो प्रति, एफआईआर संख्या 323 दिनांक 04.10.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की गई हैं । उक्त

दस्तावेजात में एफआईआर की प्रमाणित प्रति है और शेष दस्तावेजात फोटो प्रतियॉ है प्रमाणित प्रतियॉ नहीं हैं । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर एफआईआर की प्रमाणित प्रति को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है । शेष दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर नहीं लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 23.03.2018 के अनुसार पत्रावली में जवाबदावा आने के बाद तनकीयात में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण उपस्थित हुए हैं और प्रतिवादीगण कम 01 से 05 उपस्थित नहीं हुए हैं सिर्फ प्रतिवादी संख्या 06 तहसीलदार उपस्थित हैं और इनकी उपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । प्रतिवादीगण कम 1 से 5 जो हितबद्ध पक्षकार हैं वो न तो उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा